(नि:शुल्क एवं अनिवार्य **बाल**्शिक्षा<sup>\*</sup>अधिकार अधिनियम नियमावली 2011 के नियम-17 के उप नियम (8) के अन्तर्गत) कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल

ई-मेल-ceonainitai 11 @gmail.com

फैक्स-05942-248469

पत्रांक- मान्यता-आर0टी0ई०/अंग्रेजी मा0नवीन/1401-02 /2020-21 दिनांक-29.06.20

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रधानांचार्य पैन्थियोंन स्कूल कठघरिया,हल्ह्वानी, नैनीताल।

विषय-

नि:शुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की घारा 18 के प्रयोजनार्थ निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम 17 के उपनियम (5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता का प्रमाण पत्र।

महोदय

आपके आवेदन पत्र दिनांक-30.11.2019 कार्यालय में प्राप्त दिनांक-30.06.2020 एंव उप अधिकारी, हल्द्वानी नैनीताल के कार्यालय पत्रांक-104 / मान्यता / 2019-20 दिनांक-06.05.20 द्वारा दिनांक-24.01..2020 को निरीक्षण उपरान्त दी गयी संस्तुति अनुसार आपके विद्यालय, पैन्थियॉन स्कूल कठघरिया,हल्हानी नैनीताल को प्री-प्राइमरी से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु शैक्षणिक सत्र 2020-21 से आगामी पांच वर्ष (दिनांक-01.04. 2020 से 31.03,2025 तक) के लिए मान्यता स्वीकृति प्रदान की जाती है। स्वीकृति शासनादेशों में प्रख्यापित नियमों / उपनियमों के अनुपालन के अधीन होगी-01.मान्यता किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी। 02 .विद्यालय निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगा।

03. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर एंव शिक्षा से वंचित समुदाय के बच्चों का करेंगा तथा उन्हें निःशुल्क एंव अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।

04. उपरोक्त कम संख्या-3 पर वर्णित बच्चों के मामले में विद्यालय का निःशुल्क एंव अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जाने वाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संचालन करेगा।

05.संस्था / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत अनुवान / कैपिटेशन शुल्क प्राप्त नहीं किया जाएगा तथा किसी भी बच्चे की परीक्षा या उसके माता-पिता/अभिभावंक का साक्षात्कार नहीं किया जाएगा।

08.विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसकों आय प्रमाण पत्र,नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद प्रदेश तथा धर्म,जाति,जन्म स्थान आदि कारणों से या इसमें किसी एक कारण के आधार पर मना नहीं करेगा।

07. विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेगें:--

(एक) किसी भी नामांकित बच्चे कों किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और नहीं किसी नामांकित बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया

The Pantheon School Kathghariya, Haldwani.

(दो) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दण्ड नहीं दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।

(तीन)किसी भी बच्चे को प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार की बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगीं।

(चार)प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 35 के उपनियम (1) के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

(पांच)अधिनियमं के प्रावधानों के आलीक में निःशक्त / विशेष अवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

(छः) शिक्षकों की नियुक्ति अधिनियम की धारा 23 की उपद्यारा (1) में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में समय—समय पर जारी विभागीय निर्देशों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।

(सात) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा (1) तथा नियमावली के नियम 31 में प्राविधानित शक्षकों के दायित्व का निर्वाहन करेंगे।

(आठ)शिक्षक निजी न्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण-गति विधि (द्यूशन) में संलग्न नहीं होगें।

08. विद्यालय सरकार द्वारा निद्यारित पाठ्यचर्या एव पाठ्य का अनुसरण करेगा।

09. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्वधृत मानकों एवं मापदण्डों को बरकरार

विद्यालय द्वारा प्रस्तुत घोषणा पत्र एंव खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी की आख्या के अनुसार औपवन्धिक वान्यता प्रदान की जा रही है। मानकों का उल्लंघन पाये जाने पर मान्यता का प्रत्याहरण किया जायेगा।

• विद्यालय-परिसर का क्षेत्रफल	4158 वर्ग मी0
• कुल निर्मित क्षेत्र —	2064 वर्ग मी0
• खेल का मैदान —	है।
• कक्षा-कक्षों की क़ुल संख्या -	14
• प्रधानाध्यापक कक्ष / सह भण्डार-	02
• बालक / बालिका के अलग-अलग शौचालय	03 बालक 06 बालिका
• पेयजल सुविधा –	है।
<ul> <li>मध्यान्ह भोजन के लिए रसोईघर है—</li> </ul>	लागू नहीं
• बाधा रहित	है।
• शिक्षण अधिगमन सामाग्री—	उपलब्ध है।

11.इस मान्यता द्वारा केवल स्वीकृत परिसर में ही विद्यालय संचालित किया जायेगा। विद्यालय के नाम से अन्य कही विद्यालय संचालित नहीं किया जायेगा।

12.विद्यालय भवन अथ्दा अन्स संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शैक्षिक गतिविधियों हेतु किया जाएगा। इस भवन/सरचना या मैदान का उपयोग किसी प्रकार के व्यावसायिक हेतु नहीं किया जायेगा।

and of

The Pantheon School Kathghariya Hakiwani

13.विद्यालय सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबन्धित सोसाइटी के द्वारा अध्या किसी निधारित समय में लागू कानून के अन्तर्गत गठित किसी पब्लिक

14.विद्यालय किसी व्यक्ति समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के

15.लेखा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टड एकाउन्टटेन्ट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियामक के आलोक में उपयुक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष मुख्य शिक्षा अधिकारी को मेजी जायेगी।

16.आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्या-23/2020 है। इस को कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एंव उद्वधृत किया जाये।

17.राज्य सरकार/मुख्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा समय समय पर मांगे गये प्रतिवेदन एंव सूचनाएँ विद्यालय के द्वारा उपलब्ध करायी जायेगीं और राज्य सरकार के स्तर से मान्यता की शर्त की निरन्तर पूर्ति की सुनिश्चिता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा। 18.यदि सोसाइटी के पंजीकरण के नवीनीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे

19. विद्यालय द्वारा गरीब छात्रों के सहायतार्थ बुक बैंक की स्थापना की जायेगी।

20. परिशिष्ट-चार के रूप में संलग्न अन्य शर्ते।

21. यदि विद्यालय द्वारा अधिनियम में दी गयी धाराओं की अवहेलना प्रमाणित होती है तो विद्यालय

22. बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित कियें जाने हेतु मा० उच्च न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय तथा शासन / विभाग द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

> (के०कंठगुप्ता) मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल। दिनांक-तद्दिनांक।

पृ०सं0-मान्यता-आर०टी०ई०/अंग्रेजी मा०नवीन/1401-02/2019-20 प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-01.निदेशक,माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून। 02.मण्डलीय अपर निदेशक,प्रारम्भिक शिक्षा,कुमाऊँ मण्डल,नैनीताल। 03.जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक शिक्षा,नैनीताल। 04.संबंधित खण्ड / उप शिक्षा अधिकारी,

> Manager The Pantheon School Kathghariya, Haldwani

नैनीताल।